

भारत: ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष

प्रलमिस के लयि

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO शाषी निकाय, ILO के प्रमुख अभसिमय

मेन्स के लयि

भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

चर्चा में क्यों?

भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के बीच 100 वर्षों के उपयोगी संबंधों के एक नए अध्याय को चहिनति करते हुए भारत ने 35 वर्षों बाद [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन](#) के शाषी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है।

प्रमुख बडि

- श्रम और रोजगार सचवि **अपूर्वा चंदरा** को **अक्तूबर 2020 से जून 2021** तक की अवधि के लयि ILO के शाषी निकाय का अध्यक्ष चुना गया है।
- ILO के शाषी निकाय के अध्यक्ष का पद **अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्व का पद** है। शाषी निकाय (Governing Body- GB) **ILO का शीर्ष कार्यकारी निकाय** है।
 - शाषी निकाय की बैठकें वर्ष में तीन बार मार्च, जून और नवंबर में आयोजति की जाती हैं। यह ILO नीतिपर नरिणय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के लयि एजेंडा नरिधारति करता है, सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत करने के लयि कार्यक्रम प्रारूप तथा बजट को स्वीकार करता है तथा महानदिशक (Director-General) का चुनाव करता है।
 - ILO की व्यापक नीतयि **अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन** के माध्यम से नरिधारति की जाती हैं जसिका आयोजन प्रत्येक वर्ष एक बार जून में स्विट्ज़रलैंड के जनिवा में कयि जाता है। इसे प्रायः **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद** के रूप में संदर्भति कयि जाता है।
- अपूर्वा चन्द्रा शाषी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे जसिका आयोजन नवंबर 2020 में कयि जाएगा।
 - यह संगठति अथवा असंगठति क्षेत्र के सभी श्रमकों को सामाजकि सुरक्षा के सार्वभौमकिरण के संबंध में धारणा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाज़ार की कठोरता को दूर करने के लयि सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों से प्रतभिगयिों को अवगत कराने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।
 - मज़दूरी, औद्योगकि संबंध, सामाजकि एवं व्यावसायकि सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्य स्थति से संबंधति चार संहतिओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कवि श्रमकों के हतिों की रक्षा कर सकती है तथा व्यवसाय संचालन को सरल बनाकर उसमें सुधार कर सकती है।
 - हाल ही में भारतीय संसद ने औद्योगकि संबंधों, व्यावसायकि सुरक्षा, स्वास्थय एवं कार्य स्थति और सामाजकि सुरक्षा पर **तीन श्रम संहति** पारति की हैं जो देश के पुरातन श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमकों के लाभों से समझौता कयि बना आर्थकि गतिविधियिों को गति देने के लयि प्रस्तावति हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रपिकीय संस्था है जसिकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधिद्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी।
- यह श्रम मानक नरिधारति करने, नीतयिों वकिसति करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लयि सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नयिोक्ताओं और श्रमकों को एक साथ लाता है।
- वर्ष 1946 में ILO, संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली वशिष्ट एजेंसी बना।
- ILO में कार्रवाई का मुख्य साधन अभसिमयों एवं समझौतों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना है।
 - अभसिमय अंतर्राष्ट्रीय संधयिों और ऐसे उपकरण हैं, जो उन देशों के लयि कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का नरिमाण करते हैं जनिके द्वारा इनकी पुष्टि की जाती है।

- इसकी अनुशंसाएँ गैर-बाध्यकारी हैं और राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यों को उन्मुख करने वाले दशिया-नरिदेशों का नरिधारण करती हैं।
- वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- यह वार्षिक [वशिव रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण](#) (World Employment and Social Outlook- WESO) रुझान रपौरट जारी करता है।

भारत और ILO:

- भारत, ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के शाषी नकिया का स्थायी सदस्य रहा है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में शुरू हुआ था।
- भारत ने ILO के 41 अभसिमयों की पुषटकी है, जो कई अन्य देशों में मौजूद स्थतिकी तुलना में कहीं अधिक बेहतर है।
- भारत ने आठ प्रमुख/मौलिक ILO अभसिमयों में से 6 की पुषटकी है। ये अभसिमय नमिनलखित हैं:
 - बलात् श्रम पर अभसिमय (संख्या 29)
 - बलात् श्रम के उन्मूलन पर अभसिमय (संख्या 105)
 - समान पारश्रमिक पर अभसिमय (संख्या 100)
 - भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर अभसिमय (संख्या 111)
 - न्यूनतम आयु पर अभसिमय (संख्या 138)
 - बाल श्रम के सबसे वकित स्वरूप पर अभसिमय (संख्या 182)
- भारत ने दो प्रमुख/मौलिक अभसिमयों, अर्थात् संघ बनाने की स्वतंत्रता एवं संगठति होने के अधिकार की सुरक्षा पर अभसिमय, 1948 (संख्या 87) और संगठति एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अभसिमय, 1949 (संख्या 98) की पुषटनिही की है।
 - ILO की कन्वेंशन संख्या 87 एवं 98 की पुषटनिही करने का मुख्य कारण सरकारी करमचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतबिंध हैं।
- ILO ने कोवडि-19 के प्रकोप के कारण धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतविधियों को बढ़ावा देने के लयि कई भारतीय राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में कयि गए परविरतनों पर गहरी चति व्यक्त की है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-assumes-the-chairmanship-of-the-governing-body-of-ilo>

